प्रपत्र 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector -------**

No 70 Dated 14/5/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.150 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of Javari To Jaykandi (8.00 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of ..Jaikandi.... village in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.150 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

जिला अधिकारी
Signature
रुद्रप्रयाग
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Raghav Langar I.A.S deputy commissioner, Rudraprayag. on dated 14/5/15 at time ...2.01 P.M at Rudraprayag in which application claiming rights in forest... area measuring ..3:150.. hect for the construction of Javari To Jaykandi (8.00 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of .S.D.M sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Rudraprayag

Dated:..14/5/15

Raghav
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड अगस्तमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.150 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.150 हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ... ऊखीमठ) की दिनांक 08-05-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री यू0एस0 चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री उत्तम सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी ऊखीमठ	अध्यक्ष
2–	श्री अजय शर्मा ...., उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग		सदस्य
3–	श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी————		सदस्य/सचिव
4–	श्री प्रमिला भण्डारी	बी0डी0सी0 कण्डारा.....	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत **जावरी से जयकण्डी** मोटर मागपरियोजना हेतु **3.150 हे0** वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आंवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अर्न्तगत जावरी से जयकण्डी मोटर मागपरियोजना के निर्माण हेतु **3.150 हे0** वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

8/5/15

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ऊखीमठ
जनपद– रूद्रप्रयाग

No- 18/ST- विविध/2015 दि० 08-05-2015
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ऊखीमठ
जनपद– रूद्रप्रयाग

जिला समाज कल्याण अधिकारी रूद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग उप वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

प्रमिला
(प्रमिला भण्डारी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-कण्डारा
वि.खं. अगस्त्यमुनि

(2)

जनपद रूद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जयकण्डी

तहसील ऊखीमठ, **जिला रूद्रप्रयाग**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अन्तंगत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे0 3.05 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल .... हे0 वन भूमि) का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना** (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी ------ द्वारा दिनांक 22/04/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विचार चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी या किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत जयकण्डी
वि0ख0 अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)

(2)

जनपद रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कांदी (जावरी)

तहसील ऊखीमठ, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तंगत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हे०, 3.05 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ...... हे० वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कांदी (जावरी) द्वारा दिनांक 18/04/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

वि० ख० अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग

प्रपत्र 30.5

दिनांक 22/04/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जयकण्डी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उदय सिंह नेगी	[signature]
2	हुकम सिंह नेगी	हुकम सिंह
3	नरेन्द्र सिंह नेगी	N.S Negi
4	सोबत सिंह नेगी	सोबत सिंह
5	खुशाल सिंह नेगी	K.S. Negi
6	प्रेम सिंह नेगी	प्रेम सिंह
7	गजपाल सिंह नेगी	Gajpal Singh
8	विजय पाल सिंह	विजयपाल
9	कमल सिंह नेगी	कमल सिंह
10	प्रताप सिंह रावत	P.S Rawat
11	पूर्ण सिंह रावत	पूर्ण सिंह
12	जगदीश सिंह रावत	जगदीश सिंह
13	राजवर सिंह चौहान	[signature]
14	मदन सिंह जगवाण	मदन जगवाण
15	बृजमोहन सिंह नेगी	[signature]
16	बुद्धि बाल	[signature]
17	श्री कृष्ण पन्त	K.S Pant
18	देव सिंह नेगी	देव सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत जयकण्डी * विकास खण्ड अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) *

[signature] ग्राम प्रधान

प्रपत्र 30.5

दिनांक 18/04/015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कांडी (जाबरी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चरणसिंह राणा	[signature]
2	मोहनसिंह राणा	मोहनसिंह राणा
3	नारायणसिंह	नारायणसिंह राणा
4	राकेशसिंह नेगी	राकेश नेगी
5	दुर्गादाससिंह नेगी	दुर्गादास सिंह नेगी
6	गुमानसिंह	गुमान सिंह
7	रघुवीरसिंह	रघुवीर सिंह
8	बचनसिंह	बचन सिंह
9	रणवीरसिंह	रणवीर सिंह
10	गोकुलसिंह	गोकुल सिंह
11	फतेसिंह राणा	फतेसिंह
12	कुँवरसिंह	[signature]
13	कलमसिंह	Kalam Singh
14	वीरेन्द्रसिंह राणा	BSRana
15	त्रिलोक सिंह	T.S Rana
16	विक्रमसिंह	विक्रमसिंह
17	जगदीशसिंह	जगदीश सिंह
18	महावीरसिंह राणा	MSRana

ग्राम प्रधान देवीलाल

(मुहर: प्रधान ग्रा० पं० कान्डी, वि० ख० अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित रूद्रप्रयाग जाबरी से जयकण्डी अजयपुर मोटर मार्ग स्टेज–1 के निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

ग्राम पंचायत जयकण्डी व अजयपुर

हस्ताक्षर

(1) पीताम्बर दत्त
(2) स्वतन्त्रता दत्त — स्वतन्त्रता दत्त
(3) चण्डी प्रसाद — चण्डी प्रसाद
(4) चैतराम — चैतराम
(5) रविन्द्र सिंह — रविन्द्र सिंह
(6) नारायण सिंह — नारायणसिंह
(7) भरत सिंह
(8) जसपाल सिंह — जसपालसिंह
(9) पूर्ण सिंह — पूर्ण सिंह
(10) भीमराज सिंह — भीमराज सिंह
(11) पार्वती देवी — पार्वती देवी
(12) देव सिंह — देवसिंह
(13) प्रेम सिंह — प्रेमसिंह
(14) सुरेन्द्र सिंह
(15) बरदेई देवी — बरदेई देवी
(16) दिनेश सिंह
(17) कुन्दन सिंह
(18) खजान सिंह
(19) इन्द्र सिंह — इन्द्र सिंह
(20) बच्चन सिंह — बच्चन सिंह
(21) गजपाल सिंह — गजपाल सिंह
(22) लखपत सिंह — लखपत सिंह
(23) महेशचन्द्र — महेश चन्द्र
(24)

ग्राम पंचायत ... प्रधान ... (stamp)

[illegible]

जगदीश सिंह

[illegible]

बुद्धिलाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रूद्रप्रयाग जाबरी से जयकण्डी अजयपुर मोटर मार्ग स्टेज–1 के निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर भूमिधारी -

भवदीय

मुकेश सिंह

रणवीर सिंह

महावीर सिंह

फतेसिंह

बचनसिंह

वीरेन्द्र सिंह

रमेश सिंह

गुमान सिंह

Kalam Singh Negi

गोकुल सिंह

राजेन्द्र सिंह

बलवीर सिंह राणा

सुरजीत सिंह

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जावरी से जयकाण्डी अजयपुर कुणजेठी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि / निर्माण नाप व वेनापक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन में यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है, तो ग्राम वासी जावरी व ग्राम पंचायत काली को कोई आपत्ति नहीं है,

हम वर्तमान विभागीय दरों पर अपनी भूमि जंगल सर्वे देने को तैयार है,

प्रधान ग्रा० ... काली
देवीलाल
वि० ख० अगस्त्यमुनि